173

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2075—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—06—2014 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला—टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 09/अपील/2013—14

.....

1— धनीराम पुत्र वंशी ढीमर
निवासी—ग्राम पैंतपुरा तहसील लिधौरा
जिला—टीकमगढ़(म0प्र0)
2— रामचरन पुत्र वंशी ढीमर
निवासी—ग्राम पैंतपुरा तहसील लिधौरा
जिला—टीकमगढ़(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मुन्नी पुत्र वंशी ढीमर
निवासी—ग्राम पैंतपुरा तहसील लिधौरा
जिला—टीकमगढ़(म0प्र0)

.....अनावेदक

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री पुरूषोतम पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 12—1—17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला—टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—06—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण एवं अनावेदक आपस में सगे भाई है तथा सर्वे क्रमांक 1656/1129 रकबा 1.214 है0 पर संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी है। अनावेदक तीनों भाईयों में से बड़े है इसी कारणवश राजस्व अभिलेख में आवेदकगण के

नाबालिकी के समय उपर्युक्त विवादित भूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया था। उक्त विवादित भूमि संयुक्त भूमि है, जिसमें तीनों का 1/3–1/3 हिस्सा था । तदानुसार आपसी घरू बटवारा अनुसार आवेदकगण एवं अनावेदक ने 1/3–1/3 हिस्से पर सहमति से आदेश दिनांक 24.12.92 द्वारा राजस्व अभिलेख में नामांतरण कराया था। दिनांक 26.06.2008 को अनावेदक ने अपना 1/3 हिस्सा आवेदकगण को दिनांक 26.06.2008 द्वारा रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर दिया था। आपसी सहमति हुये नामांतरण दिनांक 24.12.92 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील के साथ परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अधीन मय शपथ–पत्र के साथ आवेदन–पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/अपील/2013–14 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 30–06–2014 द्वारा अपील मय धारा 5 का आवेदन–पत्र स्वीकार किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन पर किंचित मात्र ही विचार ही नहीं किया गया है अर्थात् आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब क्यों कर अविश्वसनीय है। इस विषय में कोई कारण नहीं दिये गये। जब अनावेदक द्वारा अपने 1/3 हिस्से का विक्रय आवेदकगण को दिनांक 26.06.2003 को कर दिया गया था, तब उसे नामांतरण आदेश दिनांक 24.12.1992 की जानकारी दिनांक 26.06.2008 को ही हो गई थी, ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 2013 में प्रस्तुत अपील स्पष्टतः समय वर्जित होने के कारण ग्राह्य योग्य ही नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विलम्ब माफी के इस सिद्धांत पर भी विचार नहीं किया गया कि विलम्ब माफी से किसी एक पक्ष को अनुचित फायदा नहीं होना चाहिये तथा दूसरे पक्ष का अहित नहीं होना चाहिये। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट

होता है कि आवेदकगण व अनावेदक आपस में सगे भाई है । सर्वे क्रमांक 1656/1129 रकबा 1.214 है0 आवेदकगण एवं अनावेदक के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि थी। किन्तु अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष लगभग 22 वर्ष पश्चात समय वर्जित प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अपील के साथ परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अधीन मय शपथ–पत्र के साथ आवेदन भी प्रस्तुत किया गया । जिसके जवाब में आवेदकगण द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया।

6/ यहां पर यह तथ्य प्रासंगिक है कि उक्त प्रकरण में अनावेदक के द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है अथवा नहीं। प्रकरण के परीक्षण से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि का घरू बटवारा भी हो चुका था, तथा दिनांक 24.12.92 को आवेदकगण के हित में नामांतरण भी हो चुका था, किन्तु अनावेदक को उक्त नामांतरण आदेश की जानकारी 27.05.2013 को हुई, जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष अपील मय अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक को नामांतरण के पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई। यदि सूचना दी गई होती तो अनावेदक आवश्य ही उपस्थित होता । ऐसे में अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील मय अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। क्योंकि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को सदभावना की दृष्टि से देखे जाने का प्रावधान है। इसी कारणवश अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील मय अवधि विधान की धारा 5 के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र को स्वीकार किया है।

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी जतारा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2014 न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर